झारखंड उच्च न्यायालय रांची

आपराधिक विविध याचिका सं० 1159/2021

---

1. स्वर्ण किरण, उम्र लगभग 37 वर्ष, पति श्री वरुण कुमार, निवासी - बिहारी कुंज, मखनिया कुआँ, डाकघर+थाना - बांकीपुर, जिला पटना (बिहार), पिन - 800004।
2. स्पर्धा कोहली, उम्र लगभग 28 वर्ष, पति श्री रोहित कुमार, निवासी - बिहारी कुंज, मखनिया कुआँ, डाकघर+थाना - बांकीपुर, जिला पटना (बिहार), पिन - 800004।

.....याचिकाकर्ता

-बनाम-

झारखंड राज्य ..... प्रतिवादी

याचिकाकर्ताओं के लिए: श्री सुमीत गाड़ोदिया, अधिवक्ता
श्रीमती शिल्प संदिल गाड़ोदिया, अधिवक्ता
श्री रितेश क्र. गुप्ता, अधिवक्ता
श्री निलोहित चौबे, अधिवक्ता
श्री के. हरि, अधिवक्ता
सुश्री श्रुति शेखर, अधिवक्ता
श्री प्रखर हरित,

राज्य के लिए अधिवक्ता: श्री दीपांकर एसी जीए III से

<u>उपस्थित</u>

माननीय न्यायमूर्ति अनिल कुमार चौधरी

न्यायालय द्वारा:- पक्षों को सुना गया।

2. यह आपराधिक विविध याचिका दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 482 के तहत इस न्यायालय के अधिकार क्षेत्र का आह्वान करते हुए दायर की गई है, जिसमें लालपुर थाना कांड संख्या 200/2020 के संबंध में याचिकाकर्ताओं के खिलाफ प्रथम सूचना रिपोर्ट सहित संपूर्ण आपराधिक कार्यवाही को रद्द करने की प्रार्थना की गई है, जो भारतीय दंड संहिता की धाराओं 419, 420, 467, 468, 471 और 34 के तहत दंडनीय अपराधों के लिए दर्ज किया गया है

और उक्त मामला अब न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी XXIII, रांची के समक्ष लंबित है।

3. याचिकाकर्ताओं के खिलाफ आरोप यह है कि याचिकाकर्ताओं ने जमीन का एक टुकड़ा खरीदा क्योंकि याचिकाकर्ताओं के विक्रेताओं ने दर्ज किरायेदार अर्थात् मणिनाथ महतो का उपनाम नाम माइकल नाग जोड़ दिया, जबकि मणिनाथ महतो - वास्तविक दर्ज किरायेदार का माइकल नाग जैसा कोई उपनाम नाम नहीं था।

4. याचिकाकर्ताओं के विद्वान वकील इस न्यायालय का ध्यान **मोहम्मद इब्राहिम एवं अन्य बनाम बिहार राज्य एवं अन्य** (2009) 8 एससीसी 751 पैराग्राफ-7, 20 और 23 में दर्ज मामले में भारत के माननीय सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय की ओर आकर्षित करते हैं, जिसका सार इस प्रकार है:-

> "7. इसलिए विचारणीय प्रश्न यह है कि क्या अभिलेख पर उपलब्ध सामग्री प्रथम दृष्टया अभियुक्त के विरुद्ध कोई अपराध बनाती है। अपीलकर्ता का तर्क यह है कि यदि शिकायत और एफआईआर में लगाए गए आरोप, भले ही पूरी तरह से सत्य माने जाएं, जालसाजी (धारा 467 और 471) या धोखाधड़ी (धारा 420) या अपमान (धारा 504) या गलत तरीके से रोकने (धारा 341) या चोट पहुंचाने (धारा 323) के किसी अपराध के तत्वों का खुलासा नहीं करते हैं और कोई अन्य सामग्री नहीं है जो किसी अपराध को दर्शाती हो और इसलिए, उनके आवेदन को स्वीकार किया जाना चाहिए था।
>
> 20. जब किसी संपत्ति के स्वामित्व का दावा करते हुए बिक्री विलेख निष्पादित किया जाता है, तो ऐसे बिक्री विलेख के तहत क्रेता के लिए यह आरोप लगाना संभव हो सकता है कि विक्रेता ने स्वामित्व का गलत प्रतिनिधित्व करके उसे धोखा दिया है और धोखाधड़ी से उसे बिक्री प्रतिफल से अलग होने के लिए प्रेरित किया है। लेकिन इस मामले में शिकायत क्रेता द्वारा नहीं की गई है। दूसरी ओर, क्रेता को सह-अभियुक्त बनाया गया है।
>
> **स्पष्टीकरण**
>
> 23. जब हम कहते हैं कि किसी व्यक्ति द्वारा बिक्री विलेख का निष्पादन, किसी ऐसी संपत्ति को, जो उसकी नहीं है, अपनी संपत्ति के रूप में हस्तांतरित करने का दावा करना, कोई झूठा दस्तावेज बनाना नहीं है और इसलिए जालसाजी नहीं है, तो हमें यह नहीं समझना चाहिए कि ऐसा कृत्य कभी भी आपराधिक अपराध नहीं हो सकता। यदि कोई व्यक्ति यह जानते हुए भी संपत्ति बेचता है कि वह उसकी नहीं है, और इस तरह वह संपत्ति खरीदने वाले व्यक्ति को धोखा देता है, तो धोखा

> खाने वाला व्यक्ति, यानी खरीदार, शिकायत कर सकता है कि विक्रेता ने धोखाधड़ी का धोखाधड़ी वाला कार्य किया है। लेकिन कोई तीसरा पक्ष जो विलेख के तहत खरीदार नहीं है, ऐसी शिकायत नहीं कर सकता है। (जोर दिया गया)

और प्रस्तुत किया कि जैसा कि स्पष्ट है कि याचिकाकर्ता स्वयं क्रेता हैं, इसलिए, एक तृतीय पक्ष-सूचनाकर्ता जब वह स्वयं एफ.आई.आर. में स्वीकार करता है कि याचिकाकर्ताओं के विक्रेताओं ने खुद को वास्तविक मालिक के रूप में प्रस्तुत किया और याचिकाकर्ताओं के खिलाफ ऐसा कोई आरोप नहीं है कि याचिकाकर्ताओं की इसमें कोई भूमिका थी और भले ही एफ.आई.आर. में याचिकाकर्ताओं के खिलाफ लगाए गए आरोपों को पूरी तरह से सत्य माना जाता है, फिर भी याचिकाकर्ताओं के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा 419, 420, 467, 468, 471 और 34 के तहत दंडनीय अपराध नहीं बनता है। इसलिए, यह प्रस्तुत किया जाता है कि लालपुर थाना केस संख्या 200/2020 के संबंध में याचिकाकर्ताओं के खिलाफ प्रथम सूचना रिपोर्ट सहित संपूर्ण आपराधिक कार्यवाही, जो अब विद्वान न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी XXIII, रांची के समक्ष लंबित है, को रद्द कर दिया जाए और याचिकाकर्ताओं के खिलाफ अलग रखा जाए।

5. राज्य की ओर से उपस्थित विद्वान वकील ने लालपुर थाना मामला संख्या 200/2020 के संबंध में याचिकाकर्ताओं के खिलाफ प्रथम सूचना रिपोर्ट सहित संपूर्ण आपराधिक कार्यवाही को रद्द करने और अलग रखने की याचिकाकर्ताओं की प्रार्थना का पुरजोर विरोध किया, जो अब विद्वान न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी XXIII, रांची के समक्ष लंबित है और प्रस्तुत किया कि याचिकाकर्ता बिक्री-विलेख के निष्पादन में सहायक थे, इसलिए उनका यह ज्ञान स्पष्ट है कि वे भूमि के मालिक नहीं हैं, इसलिए यह प्रस्तुत किया जाता है कि यह आपराधिक विविध याचिका, बिना किसी योग्यता के, खारिज कर दिया जाए ।

6. बार में किए गए प्रतिद्वंद्वी प्रस्तुतीकरणों को सुनने और रिकॉर्ड में उपलब्ध सामग्रियों को ध्यान से देखने के बाद, यहां यह उल्लेख करना उचित है कि मोहम्मद इब्राहिम और अन्य बनाम बिहार राज्य और अन्य (सुप्रा) के मामले में भारत के माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा कानून को अच्छी तरह से स्थापित किया गया है, कि केवल खरीदार ही धोखाधड़ी के कृत्य से जमीन

बेचने के लिए विक्रेता पर मुकदमा चला सकता है, लेकिन एक तीसरा पक्ष जो पहले से खरीदार नहीं है, खरीदार के खिलाफ आपराधिक कार्यवाही शुरू करने का हकदार नहीं है।

7. अब मामले के तथ्यों पर आते हैं, एफ.आई.आर. में ही स्पष्ट रूप से उल्लेख किया गया है कि याचिकाकर्ताओं के विक्रेताओं ने खुद को असली मालिक बताया और जमीन बेची। याचिकाकर्ताओं के खिलाफ ऐसा कोई आरोप नहीं है कि याचिकाकर्ताओं को कभी भी यह पता था कि उनके विक्रेता असली मालिक नहीं हैं, बल्कि सूचना देने वाला व्यक्ति खरीदी गई जमीन का असली मालिक है।

8. ऐसी परिस्थितियों में, इस न्यायालय को यह मानने में कोई हिचकिचाहट नहीं है कि भले ही एफआईआर में लगाए गए आरोपों को पूरी तरह से सच माना जाए, फिर भी याचिकाकर्ताओं के खिलाफ भारतीय दंड संहिता के दंडात्मक प्रावधानों के तहत दंडनीय अपराध नहीं बनता है। इसलिए याचिकाकर्ताओं के खिलाफ इस मामले को जारी रखना कानून की प्रक्रिया का दुरुपयोग होगा।

9. तदनुसार, लालपुर थाना मामला संख्या 200/2020 के संबंध में याचिकाकर्ताओं के खिलाफ प्रथम सूचना रिपोर्ट सहित संपूर्ण आपराधिक कार्यवाही, जो अब विद्वान न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी XXIII, रांची के समक्ष लंबित है, को रद्द किया जाता है और याचिकाकर्ताओं के खिलाफ अलग रखा जाता है।

10 . परिणामस्वरूप, यह आपराधिक विविध याचिका स्वीकृत की जाती है।

(न्यायमूर्ति अनिल कुमार चौधरी)

झारखण्ड उच्च न्यायालय,रांची
दिनांकित 11 मार्च, 2024
AFR/ Animesh

यह अनुवाद सुश्री लीना मुखर्जी, पैनल अनुवादक के द्वारा किया गया।